न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—134/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88 आरटीए

1. जसप्रीतसिंह, 2. गुरप्रीतसिंह — पिसरान दर्शनसिंह
3. लवप्रीतसिंह, 4. गुरलालसिंह — पिसरान मलकीतसिंह
जाति जटसिख सा.सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. कुलविन्द्रसिंह पुत्र जगजीतसिंह उर्फ जग्गासिह जाति जटसिख निवासी संतपुरा जाति जटसिख साकिन संतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. दर्शनसिंह पुत्र बन्तसिंह
2. मनजीतकौर पत्नी दर्शनसिंह
3. मलकीतसिंह पुत्र बन्तसिंह
4. बलजीतकौर पत्नी मलकीतसिंह
5. जगजीतसिंह उर्फ जग्गासिंह पुत्र बन्तसिंह
6. रणजीतकौर पत्नी जगजीतसिंह

जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा। तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

7. जसविन्द्रकौर पुत्री जगजीतसिंह पत्नी बलकरणसिंह जाति जटसिख साकिन ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
8. बलजिन्द्रकौर पुत्री जगजीतसिंह पत्नी खुशदीपसिंह जाति जटसिख साकिन दलियावाली तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
9. एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा संगरिया जरिए मैनेजर
10. एस.बी.आई. बैंक, शाखा संगरिया जरिए मैनेजर।
11. ओ.बी.सी. बैंक, शाखा दीनगढ जरिए मैनेजर।
12. तहसीलदार राजस्व संगरिया

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री जिनेन्द्रकुमार बाथम — वकील वादीगण
2—श्री राजकुमार स्वामी— वकील प्रति.सं.1 से 8
3—श्री रविन्द्रकुमार भोबिया—वकील प्रति.सं. 11

निर्णय दिनांक :— 17.07.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे दर्ज है प्रतिवादीगण सं.1 व 3 व 5 वादीगण के पिता है जिनके नाम से कृषि भूमि वाके तहसील संगरिया के चक नं. 3 ए.एम.पी. खाता सं. 61/52 खाता जगाासिह आदि में कुल 0.759 है0 तथा चक नं. 4 ए.एम.पी. खाता सं. 77/81 खाता बलदेवसिंह आदि में कुल 1.518 है0 तथा चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 44/42 खाता दर्शनसिह आदि में 1.012 है0 व इसी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 75/73 खाता मेहरसिंह आदि में 2.531 है0 व इसी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 26/27 खाता जगजीतसिंह आदि में जगासिंह के नाम 1.180 है0 दर्शनसिंह—मलकीतसिंह के नाम 0.591 है0 व इसी चक नं. 1

पी.टी.पी. खाता सं. 29/29 खाता जगासिंह आदि में कुल 2.024 है0 व इसी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 30/28 खाता जगासिंह आदि में जगासिंह के नाम 0.418 है0 दर्शनसिंह के नाम 0.670 है0 मलकीयतसिंह के नाम 0.936 है0 व इसी चक नं.1 पी.टी.पी. खाता सं. 24/26 खाता जगजीतसिंह आदि में 7.385 है0 व इसी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 99/94 खाता हरवंशसिंह आदि में 2.074 है0 व इसी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 61/58 खाता बलवीरसिंह आदि में 0.506 है0 व इसी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 62/59 खाता बलवीरसिंह आदि में जगजीतसिंह के नाम 0.253 है0 दर्शनसिंह मलकियतसिंह के नाम 1.265 है0 कृषि भूमि दर्ज है। उक्त चकों की नकल जमाबन्दियां सलग्न दावा है। दावा में अपनी वंशावली दर्ज की है। दावा के पहरा संख्या 2 में वर्णित भूमि वादीगण की विरास्तन भूमि है, उक्त विरास्तन भूमि में वादीगण जन्मजात हिस्सेदार है, अतः वादीगण अपना–अपना जन्मजात हक घोषित कराने के मुस्तहक एवं दावेदार है। कि प्रतिवादीया संख्या 7 व 8 वादी संख्या 5 की सगी बहिन है जो उक्त विवादित भूमि में अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती व अपना हिस्से की समस्त भूमि अपने सगे भाई वादी सं. 5 के हक में छोड़ दी है जिसका वादी संख्या 5 खातेदार काश्तकार है। जिसे वादी संख्या 5 घोषित कराने का मुश्तहक एवं दावेदार है। कि वादीगण के दादा बन्तसिंह व उनके भाईयों ने जरिए पंजीकृत बैयनामा विक्रेता प्रतापसिंह से चक नम्बर 1 पी.टी.पी. के वर्तमान खाता संख्या 75/73 में प्रतापसिंह वल्द धर्मसिंह से कुल 16–00 बीघा व अन्य खाता में 2–00 बीघा कुल 18 बीघा भूमि खरीद की थी जिसका वादीगण के पिता के नाम कुल 2.531 है0 का नामान्तरण कालांतर में दर्ज हो चुका है लेकिन 0.352 है0 भूमि का नामान्तरण शैष है जो वर्तमान में उक्त बैयनामा के विक्रेता प्रतापसिंह के परिवार के व्यक्ति मेहरसिंह के नाम दर्ज चली आ रही है मेहरसिंह का उक्त खाता में कोई कब्जा काश्त नहीं है उन्होने अपनी समस्त भूमि बेचान कर दी है मात्र नाम ही शैष है। मुताबिक विक्रय पत्र वादीगण उक्त खाता में 0.353 हि0 भूमि मेहरसिंह की कम करवा अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 पूर्व में संयुक्त रूप से रहते थे तथा उनका खानदान हिन्दु मिताक्षरा विधि अनुसार अनुशासित था लेकिन अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1–3–5 के मध्य घरू विभाजन हो चुका है तथा हमने अपने अलग अलग खेत बॉट लिये है। मुताबिक घरू विभाजन वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 यानि जसप्रीतसिंह–गुरप्रीतसिंह पिसरान दर्शनसिंह व दर्शनसिंह पुत्र बन्तसिंह के हिस्सा में बहिब0 चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 44/42 में 1.012 है0 व खाता सं. 75/73 में 2.883 है0 व खाता सं. 24/26 में कुल 7.385 है0 में से 3.617 है0 व खाता सं. 61/58 में 0.506 है0 में से 0.253 है0 भूमि प्राप्त हुई है एवं चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 75/73 में 0.352 है0 भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा से वादीगण के दादा द्वारा खरीद 0.352 है0 भूमि उक्त खाता में दर्ज मेहरसिंह वल्द करतारसिंह के हिस्सा में से कम की जाकर मुताबिक घरू विभाजन वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे इस प्रकार वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 उपरौक्त वर्णित कुल भूमि के बहिब0 के खातेदार काश्तकार हो चुके है इसी अमर की वादीगण संख्या 1 व 2 घोषणात्मक डिकरी पाना चाहते है। मुताबिक घरू विभाजन वादीगण संख्या 3 व 4 एवं प्रतिवादी संख्या 3 यानि लवप्रीतसिंह–गुरलालसिंह पिसरान मलकीतसिंह व मलकीतसिंह पुत्र बन्तसिंह के हिस्सा में बहिब0 चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 24/26 में कुल 7.385 है0 में से 3.710 है0 व खाता सं. 61/58 में 0.506 है0 में से 0.253 है0 व खाता संख्या 30/28 में 2.024 है0 तथा खाता संख्या 26/27 में 1.771 है0 भूमि प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण संख्या 3 व 4 एवं प्रतिवादी संख्या 3 बहिब0 के खातेदार काश्तकार हो चुके है इसी अमर की वादीगण संख्या 3 व 4 घोषणात्मक डिकरी पाना चाहते है मुताबिक घरू विभाजन वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 5 यानि कुलविन्द्रसिंह पुत्र जगजीतसिंह व जगजीतसिंह पुत्र बन्तसिंह के हिस्सा में बहिब0 चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 24/26 में कुल 7.385 है0 में से 0.058 है0 व खाता सं. 62/59 में 1.518 है0 व खाता सं. 24/26 में कुल 7.385 है0 में से 0.058 है0 व खाता सं. 62/59 में 1.518 है0 व खाता संख्या 99/94 में 2.024 है0 तथा खाता संख्या 29/29 में 2.024 है0 तथा चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 61/52 में 0.759 है0 तथा चक नम्बर 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 77/81 में 1.518 है0 भूमि प्राप्त हुई है जिसमें वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 5 बहिब0 के खातेदार काश्तकार हो चुके है इसी अमर की वादी संख्या 5 घोषणात्मक डिकरी पाना चाहता है। कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1–3–5 का घरू विभाजन हो चुका है एवं इसी अनुसार वादीगण का कब्जा भी है लेकिन आज रोज भी विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1–3–5 के नाम दर्ज है इससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वादीगण अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की उक्त भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड व लिमिट आदि बनाने में असमर्थ

है, इस बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या सं. 1–3–5 से कहा कि वे वादीगण को जन्मजात एवं मुताबिक घरू विभाजन खातेदार काश्तकार मानकर उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज करा देवे लेकिन पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन के आदेश जारी किये गये। मुकर्र तारीख पैशी पर प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 8 ने जरिए वकील एवं स्वंय हाजिर आकर उक्त दावे में अपना जबाबदावा पेश किया जिसमें दावे को स्वीकार किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या संख्या 11 बैंक की तरफ वकील रविन्द्र कुमार भोभीया ने जबाब पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 12 तहसीलदार संगरिया ने अपना जबाबदावा पेश किया जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 9 व 10 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए जिन्हे तीन बार आवाज लगाई गई हाजिर नहीं आने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के मध्य राजीनामा हो जाने से राजीनामा तहरीर व तकमील होकर प्रस्तुत हुआ जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः दावे राजीनामा हो जाने से दावे में कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं की गई। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 2–गुरप्रीतसिंह ने अपना शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया तथा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदृर्शित करवाई गई। साथ ही वादीगण ने जगजीत सिह व दर्शन सिह एवं मलकीत सिह के वारिसान तस्दीक की फोटो प्रति, पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 3 एएमपी, चक 1 पीटीपी, चक 2 एएमपी के जगजीत सिह,दर्शन सिह, मलकीत सिह पि. बन्ता सिह के नाम से विरास्तन दर्ज इन्तकाल की प्रतियां पेश की गई है जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित उक्त चकों की समस्त आराजी विरास्तन होने के कारण हमारा इसमें विरास्तन हक हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के साथ हमारा राजीनामा भी हो चुका मुताबिक राजीनामा अनुसार दावा डिकरी किये जाने का कथन किया जिसका वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने कोई विरोध नहीं किया एवं वादपत्र को स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 3 एएमपी, चक 1 पीटीपी, चक 2 एएमपी के जगजीत सिह,दर्शन सिह, मलकीत सिह पि. बन्ता सिह के नाम से विरास्तन दर्ज इन्तकाल की प्रतिया के संदर्भ में वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस अधिवक्ता वादीगण पर मनन किया गया। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वकील वादीगण वादपत्र में वर्णित आराजी को पैतृक सम्पति साबित करने हेतु वादीगण द्वारा वादीगण एवं प्रति स. 1 ता 8 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है।चक नं. 3 ए.एम.पी. खाता सं. 61/52 खाता जगाासिह आदि में कुल 0.759 है0 तथा चक नं. 4 ए.एम.पी. खाता सं. 77/81 खाता बलदेवसिंह आदि में कुल 1.518 है0 तथा चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 44/42 खाता दर्शनसिह आदि में 1.012 है0 व इसी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 75/73 खाता मेहरसिंह आदि में 2.531 है0 व इसी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 26/27 खाता जगजीतसिंह आदि में जगासिंह के नाम 1.180 है0 दर्शनसिंह –मलकीतसिंह के नाम 0.591 है0 व इसी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 29/29 खाता जगासिंह आदि में कुल 2.024 है0 व इसी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 30/28 खाता जगासिंह आदि में जगासिंह के नाम 0.418 है0 दर्शनसिंह के नाम 0.670 है0 मलकीयतसिंह के नाम 0.936 है0 व इसी चक नं.1 पी.टी.पी. खाता सं. 24/26 खाता जगजीतसिंह आदि में 7.385 है0 व इसी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 99/94 खाता हरवंशसिंह आदि में 2.074 है0 व इसी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 61/58 खाता बलवीरसिंह आदि में 0.506 है0 व इसी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 62/59 खाता बलवीरसिंह आदि में जगजीतसिंह के नाम 0.253 है0 दर्शनसिंह मलकियतसिंह के नाम 1.265 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जिसका पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 3 एएमपी, चक 1 पीटीपी, चक 2 एएमपी के जगजीत सिह,दर्शन सिह, मलकीत सिह पि. बन्ता सिह के नाम से विरास्तन दर्ज इन्तकाल प्रतियॉ पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी बाबत राजीनमा पेश किया जा चुका है। वाद पत्र में वर्णित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतःवाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 यानि जसप्रीतसिंह–गुरप्रीतसिंह पिसरान दर्शनसिंह व दर्शनसिंह पुत्र बन्तसिंह तहसील संगरिया के चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 44/42 में 1.012 है0 व खाता सं. 75/73 में 2.883 है0 व खाता सं. 24/26 में कुल 7.385 है0 में से 3.617 है0 व खाता सं. 61/58 में 0.506 है0 में से 0.253 है0 भूमि के बहिब0 के खातेदार काश्तकार है उक्त खातों से प्रतिवादीगण संख्या 3 व 5 का नाम कलमजन व हिस्सा कम किया जावे तथा खातेदार मेहरसिंह वल्द करतारसिंह का 0.352 है0 भूमि कम की जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिब0 अंकित किया जावे। तथा वादीगण संख्या 3 व 4 एवं प्रतिवादी संख्या 3 यानि लवप्रीतसिंह–गुरलालसिंह पिसरान मलकीतसिंह व मलकीतसिंह पुत्र बन्तसिंह तहसील संगरिया के चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 24/26 में कुल 7.385 है0 में से 3.710 है0 व खाता सं. 61/58 में 0.506 है0 में से 0.253 है0 व खाता संख्या 30/28 में 2.024 है0 तथा खाता संख्या 26/27 में 1.771 है0 भूमि के बहिब0 के खातेदार काश्तकार है उक्त खातों से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 का नाम कलमजन व हिस्सा कम किया जाकर वादीगण संख्या 3 व 4 एवं प्रतिवादी संख्या 3 का नाम बहिब0 अंकित किया जावे। तथा वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 5 यानि कुलविन्द्रसिंह पुत्र जगजीतसिंह व जगजीतसिंह पुत्र बन्तसिंह तहसील संगरिया के चक नं. 1 पी.टी. पी. खाता सं. 24/26 में कुल 7.385 है0 में से 0.058 है0 व खाता सं. 62/59 में 1.518 है0 व खाता संख्या 99/94 में 2.024 है0 तथा खाता संख्या 29/29 में 2.024 है0 तथा चक नम्बर 3 ए. एम.पी. खाता संख्या 61/52 में 0.759 है0 तथा चक नम्बर 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 77/81 में 1518 है0 भूमि के बहिब0 खातेदार काश्तकार है। उक्त खातों से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन व हिस्सा कम किया जाकर वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 5 का नाम बहिब0 अंकित किया जावे। उक्तानुसार हिस्सा कम/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलम से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–134 / 2019

1. जसप्रीतसिंह | पिसरान दर्शनसिंह जाति जटसिख सा.सन्तपुरा तहसील
2. गुरप्रीतसिंह |
3. लवप्रीतसिंह | पिसरान मलकीतसिंह संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. गुरलालसिंह |
5. कुलविन्द्रसिंह पुत्र जगजीतसिंह उर्फ जग्गासिह जाति जटसिख निवासी संतपुरा जाति जटसिख साकिन संतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1 दर्शनसिंह पुत्र बन्तसिंह
2 मनजीतकौर पत्नी दर्शनसिंह
3 मलकीतसिंह पुत्र बन्तसिंह
4 बलजीतकौर पत्नी मलकीतसिंह
5 जगजीतसिंह उर्फ जग्गासिंह पुत्र बन्तसिंह
6. रणजीतकौर पत्नी जगजीतसिंह

जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा। तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

7. जसविन्द्रकौर पुत्री जगजीतसिंह पत्नी बलकरणसिंह जाति जटसिख साकिन ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
8. बलजिन्द्रकौर पुत्री जगजीतसिंह पत्नी खुशदीपसिंह जाति जटसिख साकिन दलियावाली तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
9. एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा संगरिया जरिए मैनेजर
10. एस.बी.आई. बैंक, शाखा संगरिया जरिए मैनेजर।
11. ओ.बी.सी. बैंक, शाखा दीनगढ जरिए मैनेजर।
12. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री जिनेन्द्र कमार बाथम वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री राजकुमार कुमार वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व श्री रविन्द्र कुमार भोबिया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 यानि जसप्रीतसिंह–गुरप्रीतसिंह पिसरान दर्शनसिंह व दर्शनसिंह पुत्र बन्तसिंह तहसील संगरिया के चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 44 / 42 में 1.012 है0 व खाता सं. 75 / 73 में 2.883 है0 व खाता सं. 24 / 26 में कुल 7.385 है0 में से 3.617 है0 व खाता सं. 61 / 58 में 0.506 है0 में से 0.253 है0 भूमि के बहिब0 के खातेदार काश्तकार है उक्त खातों से प्रतिवादीगण संख्या 3 व 5 का नाम कलमजन व हिस्सा कम किया जावे तथा खातेदार मेहरसिंह वल्द करतारसिंह का 0.352 है0 भूमि कम की जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिब0 अंकित किया जावे। तथा वादीगण संख्या 3 व 4 एवं प्रतिवादी संख्या 3 यानि लवप्रीतसिंह–गुरलालसिंह पिसरान मलकीतसिंह व मलकीतसिंह पुत्र बन्तसिंह तहसील संगरिया के चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं.

24／26 में कुल 7.385 है0 में से 3.710 है0 व खाता सं. 61／58 में 0.506 है0 में से 0.253 है0 व खाता संख्या 30／28 में 2.024 है0 तथा खाता संख्या 26／27 में 1.771 है0 भूमि के बहिब0 के खातेदार काश्तकार है उक्त खातों से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 का नाम कलमजन व हिस्सा कम किया जाकर वादीगण संख्या 3 व 4 एवं प्रतिवादी संख्या 3 का नाम बहिब0 अंकित किया जावे। तथा वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 5 यानि कुलविन्द्रसिंह पुत्र जगजीतसिंह व जगजीतसिंह पुत्र बन्तसिंह तहसील संगरिया के चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 24／26 में कुल 7.385 है0 में से 0.058 है0 व खाता सं. 62／59 में 1.518 है0 व खाता संख्या 99／94 में 2.024 है0 तथा खाता संख्या 29／29 में 2.024 है0 तथा चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 61／52 में 0.759 है0 तथा चक नम्बर 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 77／81 में 1518 है0 भूमि के बहिब0 खातेदार काश्तकार है। उक्त खातों से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन व हिस्सा कम किया जाकर वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 5 का नाम बहिब0 अंकित किया जावे। उपरौक्तानुसार राजस्व अभिलेख में भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 व 5 के नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज्.................निल्....................मुब्लिक्...............निल्..................बाबत्.............निल्................खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक्.................अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.07.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया